न्यायालयः– श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, उदाकिशुनगंज।

Alamnagar P.S. Case No.-198/2023
राज्य बनाम बालेश्वर सिंह एवं अन्य

Date	Order with proceeding	Remarks
05.06.2026	अभिलेख आज न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हैं। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह प्राथमिकी सूचक चन्द्रदेव सिंह के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी आलमनगर थाना कांड संख्या–198 / 2023 दिनांक–10.07.2023 भा0दं0वि0 की धारा–420, 467, 468, 471 / 34 के अन्तर्गत चन्दन भगत के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रपत्र संख्या–91 / 2025 दिनांक–24.03.2025 भा0दं0वि0 की धारा– 420, 467, 468, 471 / 34 के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन असत्य करके समर्पित किया गया। सूचक को नोटिस निर्गत किया गया है। सूचक अनुपस्थित है। इस वाद के सूचक द्वारा कोई नाराजगी आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि सूचक को वाद में अग्रतर कारवाई चलाने हेतु कोई अभिरूची नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में वाद पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। **लेखापित** **न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी,** **उदाकिशुनगंज।**	